RTI APPEAL DETAILS

RTI Appeal Registration No. :	PGCIL/A /E/20/00063	**RTI Appeal Received Date :**	07/12/2020
RTI Request Registration No. :	PGCIL/R /E/20/00466	**RTI Request Registration Date :**	04/11/2020
Name :	ASHOK KUMAR	**Gender :**	Male
Address :	FLAT NO.A-33 FIRST FLOOR,PARSVNATH CITYFAIZABAD ROAD,TIWARI GANJLUCKNOW		
Pin Code :	226028		
State :	Uttar Pradesh	**Country :**	India
Phone :	+91-8299500936	**Mobile No :**	+91-6392801067
Email :	ashokpoonam15119@gmail.com		
Status :	Urban	**Educational Status :**	
Citizenship :	Indian	**Is Appellant below poverty line ? :**	No
CPIO of Public Authority Approached :	11924	**CPIO's Order/Decision Date :**	Details not provided
CPIO's Order/Decision No. :	Details not provided		
Ground For Appeal :	Provided Incomplete,Misleading or False Information		
Text of RTI First Appeal :	Please find the attachment herewith and kindly reply.		

सेवा में

दिनांक:-07.12.2020

Sh.D.K.Singh
Executive Director (NR-1)
First Appellate Authority
Power Grid Corporation of India Limited
Sec.16A, Faridabad (Haryana)
Pin-121002

विषय:-RTI संदर्भ संख्या:-PGCIL/R/E/20/00466 दिनांक 04.11.2020 के सम्बन्ध में **"प्रथम अपील"** |

माननीय

मेरा नाम अशोक कुमार है मुझे RTI संदर्भ संख्या:-PGCIL/R/E/20/00466 दिनांक 04.11.2020 के सम्बन्ध में जो जवाब विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है वो तर्कसंगत नहीं है | जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ | संतुष्ट न होने के कारण निम्न है –

प्रश्न संख्या	मांगी गई जानकारी	दी गई जानकारी	तर्कसंगत न होने का कारण	दिए गए जवाब पर प्रश्न चिह्न का कारण
1	**पानीपत कार्यालय के अंतर्गत निर्माण की गई 800 के वी चाम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन में तार खीचने के दौरान मुआवजे के बिल क्रमश: 109 (NR-1/PNP/HVDC Dt.22.09.2015 धनराशी रु-891966/-, बिल 114 (NR-1/PNP/HVDC Dt.21.10.2015 धनराशी रु-1764872/- और /- बिल 116 (NR-1/PNP/HVDC Dt.02.11.2015 धनराशी रु-490847/- का भुगतान पावर ग्रिड की किस पालिसी के तहत किया गया है ?**	दी गई जानकारी में किस पालिसी के तहत मुआवजा भुगतान किया उसका नाम नहीं बताया | जबकि तर्क दिया है कि फसल के नुकसान का मुआवजा,फसल के नुकसान का मूल्यांकन एवं स्वामित्व की पुष्टि,राजस्व विभाग से सत्यापन के बाद ही दिया जाता है | और आगे तर्क दिया है पूछे गए बिलों 109,114,और 116 में फसल के स्वामित्व कि पुष्टि ग्राम प्रधान से सत्यापन के बाद,अशोक कुमार कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तावित किये थे | जिनके आधार पर उक्त बिलों का भुगतान किया गया था |	दिए गए जवाब में जबरदस्त विरोधाभास है | पहले कह सत्यापित कर रहे है कि फसल का मुआवजा राजस्व विभाग के मूल्यांकन स्वामित्व सत्यापन के बाद ही दिया जाता है | आगे सत्यापित कर रहे है कि बिल 109,114,और 116 में फसल के स्वामित्व कि पुष्टि ग्राम प्रधान से सत्यापन के बाद अशोक कुमार कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तावित किये थे | जिनके आधार पर उक्त बिलों का भुगतान किया गया था |	जब फसल का मुआवजा राजस्व विभाग के मूल्यांकन एवं स्वामित्व की पुष्टि के बाद ही दिया जाता है | तब ग्राम प्रधान के स्वामित्व सत्यापन की पुष्टि के बाद क्यों किया गया | जिस पालिसी के तहत मुआवजा दिया है वो तो एक ही होगी | चाहे बिल अशोक कुमार,कनिष्ठ अभियन्ता प्रस्तावित करे चाहे फिर कार्यपालक महोदय | प्रस्तावित करने वाले कर्मचारी पर तो आश्रित नहीं हो सकती |
2	जिस पालिसी के तहत उक्त बिलों का भुगतान हुआ था | उस पालिसी के तहत किसानो को मुआवजा भुगतान करने से पहले कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज देने पड़ते थे ? जिनके बिना किसान को भुगतान संभव नहीं था | कृपया उन दस्तावेजो के फोर्मेट की छायाप्रति संलग्न करे ?	फसल नुकसान की पावर ग्रिड द्वारा जारी नोटिस की मूलकॉपी (ग्राम प्रधान /म्युनिसिपल कारपोरेशन/तहसीलदार से सत्यापित) एवं खसरा खतौनी की नक़ल, किसानो द्वारा दिए जाते थे (पावर ग्रिड द्वारा जारी नोटिस का फॉर्मेट संलग्न है)	जिस पालिसी के तहत उक्त बिलों का भुगतान हुआ था | उस पालिसी के तहत किसानो को मुआवजा भुगतान करने से पहले कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज देने पड़ते थे ? जिनके बिना किसान को भुगतान संभव नहीं था | जवाब में पालिसी में अंकित अनिवार्य दस्तावेज का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है | जिसके बारे में प्रश्न किया गया है |	प्रश्न 1 के जवाब में सत्यापित करते है कि राजस्व विभाग के मूल्यांकन एवं स्वामित्व की पुष्टि के बाद ही फसल मुआवजा दिया जाता है | प्रश्न-2 के जवाब में सत्यापित कर रहे है कि नोटिस ग्राम प्रधान /म्युनिसिपल कारपोरेशन/तहसीलदार से सत्यापित करना वैध था | जो नोटिस का फॉर्मेट प्रेषित किये है उसमे खसरा संख्या लिखने का कोई विकल्प नहीं दिया है | जब विकल्प ही नहीं है तो किसान से खतौनी लेने की बात अनिवार्य नहीं हो सकती थी |
3	**पानीपत कार्यालय के अंतर्गत निर्माण की गई 800 के वी चाम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन में तार खीचने के दौरान प्रभावित किसानो के मुआवजे के सम्बन्ध में निम्न नोटिसो का भुगतान किस प्रकार किया है ? ये नोटिस तो बाधित tree के कटान पर**	इन नोटिसो का भुगतान फसल के नुकसान के एवज में किया गया था जिनको की बिल संख्या 109,114 एवं 116 में फसल के स्वामित्व की पुष्टि ग्राम प्रधान से सत्यापन के बाद श्री अशोक कुमार कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तावित किये गए थे |	पूछ ये जा रहा है कि नोटिस संख्या-357,394,570,555,569,554,568,553,574,(09 नोटिस) फसल मुआवजा जारी करने वाले नहीं है अर्थात standard नोटिस नहीं है | ये सभी वो नोटिस है जो लाइन में बाधित trees के कटान पर प्रभावित किसानो को जारी किये जाते थे | आपने भी पावर ग्रिड के	माननीय पावर ग्रिड में tree और फसल मुआवजे के अलग-अलग standard नोटिस फॉर्मेट है | कोई भी universe नोटिस फॉर्मेट नहीं है | तभी तो आपने भी फसल मुआवजे के नोटिस फोर्मेट की जगह केवल फसल मुआवजे का ही नोटिस संलग्न किया है | tree का नहीं | जैसे बैंक में ग्राहक चेक पर हस्ताक्षर करके तो भुगतान पा सकता है | वही ग्राहक

	मुआवजा जारी करने के लिए हैं – • नोटिस संख्या-357,394,570,555,569,554,568,553,574,(09 नोटिस)		फसल मुआवजे के standard नोटिस की छायाप्रति प्रेषित की है। ये उन नोटिसो से पूर्णत: भिन्न है। फिर इनका भुगतान फसल मुआवजे के रूप में कैसे हो गया ? जवाब में इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।	की दुसरे पेपर पर हस्ताक्षर कर के बैंक से भुगतान नहीं पा सकता। अर्थात standard नोटिस/ standard फोर्मेट/standard दस्तावेज को आप किसी अन्य से विस्थापित नहीं कर सकते है।

भवदीय

7/12/2020

अशोक कुमार
पता:-फ्लैट संख्या-अ-33 फर्स्ट फ्लोर,पार्स्वनाथ सिटी फैजाबाद रोड,लखनऊ,पिन-226028
सम्पर्क :-8299500936